न्यायालय–अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदी खीरी

परिवाद सं0–8394 / 2023

प्रीती सक्सेना बनाम अशोक कुमार सक्सेना

CNR No UPLP10000220-2018

धारा–323, 452, 506 भा0दं0सं0

थाना–मोहम्मदी, खीरी

04.06.2026

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित है। परिवादिनी विगत तिथियों से अनुपस्थित चली आ रही है, न ही परिवाद की पैरवी की जा रही है। प्रश्नगत मामले में न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2019 को तलबी आदेश पारित करते हुए अभियुक्तगण अशोक कुमार सक्सेना, विशाल कुमार सक्सेना व प्रेमलता को अंतर्गत धारा–323, 452, 506 भा0दं0सं0 के अपराध में विचारण हेतु तलब किया गया है, किन्तु परिवादिनी निरन्तर अनुपस्थित चली आ रही है, न ही आवश्यक पैरवी की जा रही है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट रुप से दृष्टिगोचर होता कि धारा–256 दं0प्र0सं0 यह प्रावधानित करती है कि–यदि परिवादी पर समन जारी कर दिया जाय और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन, या उसके पश्चात्वर्ती किसी दिन जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाए, परिवादी हाजिर न हो तो मजिस्ट्रेट इसमें उसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा, जब तक कि वह किन्हीं कारणों से किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवाई स्थगित करना ठीक न समझे, परन्तु जहॉ परिवादी का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाए या जहॉ मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि परिवादी की वैयक्तिक हाजिरी आवश्यक नहीं है, जहॉ मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभियुक्ति देकर मामले की कार्यवाही कर सकता है। (2) उपधारा (1) के उपबन्ध, जहॉ तक हो सके, उन मामलों को भी लागू होगें जहॉ परिवादी के हाजिर न होने का कारण उसकी मृत्यु हो।

अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में परिवादिनी की अनुपस्थिति के आधार पर परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी की अनुपस्थिति के आधार पर परिवाद खारिज किया जाता है। अभियुक्तगण अशोक कुमार सक्सेना, विशाल कुमार सक्सेना व प्रेमलता को अंतर्गत धारा–323, 452, 506 भा0दं0सं0 के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है। पत्रावली तद्नुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्रद्धा भारतीय)
यू0पी01964
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी–खीरी।
04.06.2026